राज्यसभा चुनाव में 126 वोट प्राप्त करने वाली सरकार क्या छह विधायकों का दबाव झेलती रहेगी?

राज्यसभा चुनाव से पहले भी बनाया था दबाव, अब राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए बनाना चाहते हैं दबाव

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के साथ एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और समस्या यह है कि जैसे ही कभी राज्यसभा चुनाव आ जाता है या जब भी विधानसभा में सरकार को समस्या होती है तभी सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय या बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों तेवर दिखाने शुरू हो जाते हैं। अब जब राष्ट्रपति चुनाव सिर पर हैं तो बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों की ओर से फिर तेवर दिखाने की तैयारी है और गुरुवार को बाकायदा बसपा से कांग्रेस में आए छह विधायकों ने बैठक करके दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर ली है। इस रणनीति के तहत इन छह विधायकों ने अपने पद छोड़ने तक की धमकी सरकार के प्रतिनिधि को दी है।

बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से 4 विधायकों को सरकार में हिस्सेदारी मिल चुकी है और दो विधायक हिस्सेदारी से वंचित रह गए हैं। अब उन्हें हिस्सेदारी दिलवाने सहित अपनी बाकी मांगों को पूरा करवाने के लिए दबाव की रणनीति बन रही है। दरअसल बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों की ओर से सरकार को समर्थन के बदले में लगातार दबाव बनाकर अपनी मांगे मनवाने जाती रही है। सिर्फ बसपा से कांग्रेस में आए ही विधायकों की बात नहीं है, बल्कि निर्दलीय और बीटीपी विधायकों की ओर से भी समय-समय पर इसी तरह के तेवर दिखाए गए हैं।

- **बसपा से कांग्रेस में आए 5 विधायकों सहित कांग्रेस विधायक बैरवा इस ग्रुप में शामिल, वहीं बसपा से कांग्रेस में आए एक विधायक ने किया किनारा**

हाल ही राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा से कांग्रेस में आए इन पांच विधायकों सहित अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने कांग्रेस विधायक खिलाड़ी बैरवा ने भी उनके सुर में सुर मिलाया था। हालांकि नई बात यह हुई कि बसपा से आए एक विधायक जोगिंदर अवाना खुद को राजनीतिक पद मिलने के बाद इस ग्रुप से अलग दिखने लगे हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी इन विधायकों ने बाड़ाबंदी में जाने के बजाय अलवर स्थित सरिस्का के जंगलों में फोटो खिंचवा कर सरकार पर दबाव बनाया था और बाद में सरकार के नजदीकी लोगों ने इनसे बात करके वादा किया था कि राज्यसभा चुनाव के बाद इनकी सभी मांगों पर समय पर फैसला होगा। अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में बसपा से कांग्रेस में आए 5 विधायकों सहित कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा सहित इन छह विधायकों ने गुरुवार को मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के साथ बैठकर अपनी मांगे मनवाने के लिए रणनीति बनाई है और बाकायदा सरकार के प्रतिनिधि को इस बारे में अवगत भी करा दिया है। यह दबाव अब इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आने वाली 11 जुलाई को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के संयुक्त राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जयपुर आने वाले हैं।

हालांकि यह भी तय है कि बसपा से कांग्रेस में आए यह छह विधायक सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति तैयार करते हैं, लेकिन दूसरी ओर यह भी तय है कि सरकार इन्हें अब कुछ दे या ना दे, यह सरकार को छोड़कर नहीं जा सकते। क्योंकि वर्तमान की स्थिति में सरकार ज्यादा दबाव झेलना नहीं चाहेगी, क्योंकि इनके अलावा भी सरकार के पास 120 विधायकों का समर्थन है, जो कि राज्यसभा चुनाव में वोटों के तौर पर सामने आया था। इन छह विधायकों की ओर से कहा गया है कि मंत्री राजेंद्र सिंह गुढा को उनके कद के अनुरूप अच्छा मंत्रालय दिया जाए। वहीं जिन विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां दी गई है, उन्हें भी मंत्री का दर्जा दिया जाए। वहीं जो दो विधायक अभी तक राजनीतिक नियुक्तियों से वंचित हैं, उन्हें भी राजनीतिक पदों पर नवाजा जाए। इसके अलावा भी इन्होंने एक दो अन्य मांगे सरकार के सामने रखी हैं।

राज्यपाल मिश्र से पंजाब के राज्यपाल की भेंट

राज्यपालं कलराज मिश्र से पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने शुक्रवार को राजभवन में मुलाकात की। राज्यपाल मिश्र से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

सुधांशु कासलीवाल ने हाईकोर्ट में 30 लाख की लागत से बनवाया वी.सी.रूम

जयपुर, (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने शुक्रवार को सेशन कोर्ट में नव निर्मित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सेंटर का लोकार्पण किया। इस मौके पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। वीसी के जरिए अधिवक्ता किसी भी अदालत में ऑनलाइन पैरवी कर सकेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता सुधांशु कासलीवाल की ओर से तीस लाख रुपए की लागत से 11 वीसी और कंसल्टेशन रूम का निर्माण कराया गया है।

- **वीसी सेंटर का लोकार्पण, वकील कर सकेंगे किसी भी अदालत में पैरवी**

इस मौके पर जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि वीसी की सुविधा नहीं होने के चलते वकील का काम प्रभावित होता है क्योंकि यदि वह हाईकोर्ट या दूसरी अदालतों में बहस के लिए जाता है तो स्थानीय मुकदमों में उसे तारीख लेनी पड़ती है। वहीं अब सेशन कोर्ट में वीसी की सुविधा होने से वकील यहां बैठा-बैठा ही हाईकोर्ट के साथ ही दूसरी अदालतों में भी अपना पक्ष रख सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में नव निर्मित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर का लोकार्पण किया। इसे बनवाने के लिये वरिष्ठ अधिवक्ता सुधांशु कासलीवाल का स्वागत किया गया। इस मौके पर जस्टिस एम.एम.श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।

एनएचएआई की कंसल्टेंट फर्म के एडवाइजर की हत्या के आरोपी को जमानत नहीं

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के वैशाली नगर इलाके में पिछले साल 26 अगस्त को हुए एनएचएआई की कंसल्टेंट फर्म के एडवाइजर इंजीनियर राजिंदर कुमार चावला की हत्या के आरोपी करणदीप श्योराण की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश दिए। अदालत ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी ने मृतक कंसल्टेंट व आरोपी याचिकाकर्ता के बीच हुए संवाद के दस्तावेज एकत्रित किए हैं और इनसे साबित है कि मृतक, आरोपी की कंपनी के कामकाज से संतुष्ट नहीं था और ब्रिज के डिजाइन बदलने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए आरोपी ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत हत्या के लिए शूटर्स को सुपारी दी थी और उन्हें पिस्टल मुहैया कराई थी। अनुसंधान अधिकारी के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और वे आरोपी याचिकाकर्ता सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ हैं। ऐसे में इन तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी गिरावट

राज्य में शुक्रवार को 137 नए संक्रमित मिले, जबकि गुरूवार को इनकी संख्या 154 रही थी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। इस दौरान राज्य में 137 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इनके मुकाबले में 129 मरीज ही ठीक होने से एक्टिव केस बढ़कर साढ़े नौ से अधिक हो गए हैं।

प्रदेश में शुक्रवार को 15 जिलों में 137 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले गुरूवार को 154 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में आज नए संक्रमितों की संख्या में थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई है। इस बीच जिले में 51 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 24, बीकानेर में 16, अजमेर में 9, अलवर व भीलवाड़ा में 7-7, उदयपुर में 6, गंगानगर में 5, चूरू में 4, बाड़मेर व नागौर में 2-2 तथा बांसवाड़ा, कोटा, सिरोही और टोंक में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच 19 जिलों बारां, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और सीकर में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है। प्रदेश में शुक्रवार 129 मरीज ही ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस बढ़कर 953 हो गए हैं। राजधानी जयपुर में भी रिकवरी कम होन से एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 370 हो गई है। वहीं जोधपुर में 148 जबकि बीकानेर में 109 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को करोना संक्रमण से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में इस बीमारी से अब तक 9570 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

- **जयपुर में थोड़ी वृद्धि के बाद 51 नए मरीज मिले हैं।**
- **प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर साढ़े नौ से अधिक हो गए हैं।**

राजधानी जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में 23 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 6 नए मरीज सांगानेर में पाए गए हैं। इसके अलावा वैशाली नगर में 5, जगतपुरा में 4, बनीपार्क, सिविल लाइंस व शास्त्री नगर में 3-3, गांधी नगर, जवाहर नगर, झोटवाड़ा व मालवीय नगर में 2-2 तथा आदर्श नगर, आमेर, बस्सी, हवा सड़क, कोटपूतली, महेश नगर, निर्माण नगर, मुरलीपुरा, शाहपुरा, सोड़ाला और विद्याधर नगर में 1-1 नया मरीज मिला है। वहीं 4 मरीजों का पता गलत मिलने से उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। जिले में शुक्रवार को 44 मरीज ठीक हुए हैं।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

नाम परिवर्तन

मैंने भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम Vijay Thakuriya से बदलकर Vijay Thakuria पुत्र स्व. ओमप्रकाश ठाकुरिया रख लिया है। पता-बी-31, गोविन्दपुरी, जनता नगर, रांकड़ी, सोडाला, जयपुर-302006

विवाह के बाद मेरा नाम पिस्ता जैन पुत्री श्री हेमराज जैन से बदलकर प्रियंका जैन पत्नी श्री सुनील कुमार सिंधी हो गया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। पता-39, शिव कॉलोनी, दूदू रोड, मालपुरा, तह. मालपुरा, जिला टोंक (राज.)

मैने मेरा नाम अंजू रानी से बदलकर अंजू चौधरी रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। प्लॉट नंबर-25, कृषि अनुसंधान नगर, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर

मैंने अपना नाम नीलू नाटाणी (Neelu Natani) से बदलकर नीलम खण्डेलवाल (Neelam Khandelwal) पत्नी श्री सुनील खण्डेलवाल रख लिया है। भविष्य में मुझे नीलम खण्डेलवाल के नाम से जाना पहचाना जावें। निवासी-125, शिव शक्ति नगर-ए, मॉडल टाउन, जगतपुरा रोड, जयपुर।

I have changed my Name from Izhan Sabir to Izhan Ahmed in future. 176, Behind Hasrat Jaipuri Ghoda Nikas Road, Ziyauddin Colony, Char Darwaza, Jaipur.

I, BHANWAR KAUR (existing name of spouse as per next of Kin in Records/service documents) spouse of Gulab Sing (Name of husband) resident of village BERWA Tehsil DIDWANA District NAGAUR (Raj.) have changed my name from BHANWAR KAUR to BHANWAR KANWAR (proposed/adopted new name) vide Affidavit dated 4.7.22 before Rajasthan High Court, Jaipur.

I, Sumitra Kumari Munariya W/o Vinod Prakash, R/o Bharunda Khurd, Jhunjhunu, Rajasthan-333024, declare that name of mine has been wrongly written as Sumitra in my minor son Daksh Choudhary aged 14 years in his School Records. The actual name of mine is Sumitra Kumari Munariya

सब जानते हैं, सीएम की निगाहें कहीं और थीं और निशाना कोई और था : गजेंद्र सिंह शेखावत

जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी) को लेकर मुख्यमंत्री पर तंज कसा।

शुक्रवार को ट्वीट कर शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्रीजी ने जितना समय भाषण में निकम्मा की परिभाषा समझाने में लगाया उतने में ईआरसीपी का तकनीकी पक्ष समझ लेते तो शायद समस्या सुलझ ही जाती। शेखावत ने कहा कि सब जानते हैं, निगाहें कहीं और थीं और निशाना कोई और था।

वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कच्छ में नर्मदा का पानी पहुंचने पर की गई टिप्पणी का जवाब शेखावत ने शायरी में दिया। शेखावत ने कहा कि 'ग़ालिब' बुरा न मान जो वाइ'ज़ बुरा कहे ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे।

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

जयपुर, (का.सं.)। जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने घर में पंखे लगाने के लिए रुपए लेने के बाद भी पंखे नहीं लगाने की बात पर हुई हत्या के मामले में अभियुक्त दुकानदार गंगासहाय कुमावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

आरपीएससी सचिव पेश होकर बताए क्यों नहीं की अदालती आदेश की पालना : हाईकोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के राजनीति विज्ञान, हिंदी तथा चित्रकला विषय सहित अन्य विषयों के विवादित प्रश्न उत्तरों की जांच एक्सपर्ट कमेटी से नहीं कराने पर नाराजगी जताई है।

अदालत ने आरपीएससी सचिव को कहा है कि वे पांच अगस्त को पेश होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पेश करें। अदालत ने कहा है कि यदि तब तक आदेश की पालना कर ली जाती है तो उन्हें हाजिर होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सुरजन लाल धवन व हेमराज रोदिया और अन्य की याचिकाओं पर दिए।

सुनवाई के दौरान आरपीएससी की ओर से अदालती आदेश की पालना के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया। इस पर अदालत ने चार सप्ताह का समय देते हुए कहा है कि पालना नहीं करने पर आयोग सचिव पेश हो। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि आरपीएससी को भर्ती के विवादित प्रश्न उत्तरों की जांच करानी थी, लेकिन आरपीएससी ने अदालती आदेश के बाद भी पूर्व की उत्तर कुंजी में कोई बदलाव नहीं किया। इसके अलावा आयोग ने विवादित प्रश्नों की दोबारा जांच किए बिना ही पुरानी रिपोर्ट पेश कर दी। जबकि उसे एक्सपर्ट कमेटी से जांच करवानी थी और इसे वेबसाइट पर भी अपलोड कर प्रार्थियों को जानकारी देनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत 5 अप्रैल को आदेश जारी कर विवादित प्रश्नों की जांच विशेषज्ञ कमेटी से कराने को कहा था, लेकिन आयोग ने अब तक पालना नहीं की।

खोया पाया

मेरे प्लॉट नंबर 63, कृष्णा रेजीडेन्सी फागी का मूल पट्टा कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें। मंजू अग्रवाल 8441010436

प्रदेश में समयबद्ध गैस पाइप लाइन बिछाने के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त हों : उषा शर्मा

मुख्य सचिव उषा शर्मा ने गुरूवार को सचिवालय में प्रदेश में सीएनजी तथा डीपीएनजी नेटवर्क की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

जयपुर, (का.सं.)। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) प्लान के तहत राज्य में गैस पाइप लाइन बिछाने का काम निर्बाध और समयबद्ध तरीके से हो इसके लिए संबंधित विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाएँ। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए अधिकृत कम्पनियों को लैण्ड अलॉटमेंट या विभागों से एनओसी लेने जैसे कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए एसओपी बनाई जाए तथा त्वरित कार्यवाही के लिए सिंगल विंडो पॉलिसी लागू की जानी चाहिये।

मुख्य सचिव गुरूवार को सचिवालय में प्रदेश में सीएनजी तथा डीपीएनजी नेटवर्क की प्रगति की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी जिलों में पाइप लाइन से घरेलू गैस उपलब्ध करवाने के लिए नेटवर्क का विकास समयबद्ध तरीके से पूरा हो। उन्होंने इस कार्य के लिए अधिकृत कम्पनियों से उनके सामने आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी अवरोधों को दूर करने के हरसंभव प्रयास किये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि गैस पाइपलाइन बिछाने तथा सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए आधारभूत ढ़ांचा विकसित करने में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन्हें दूर किया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में आगामी 8 साल में 96 लाख से अधिक पाइप लाइन से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्य के लिए 37 हजार 824 इंच किलोमीटर गैस पाइप लाइन बिछाने तथा 1187 सीएनजी स्टेशनों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए प्रदेश में 14 कम्पनियों को अधिकृत किया गया है।

राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के प्रबंध संचालक मोहन सिंह ने बताया कि अब पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा राज्य के सभी 33 जिलों के लिए अधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) प्लान के तहत हो रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति व भावी कार्य योजना के बारे में पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अगले 2 सालों में प्रदेश के विभिन्न शहरों में 274 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 13 लाख 34 हजार 581 घरेलू पीएनजी कनेक्शन तथा 15 हजार 600 इंच-किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में राजस्व विभाग, रीको, गृह, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों तथा अधिकृत कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने वीसी के माध्यम से भाग लिया।

- **प्रदेश में आगामी 8 साल में 96 लाख से अधिक पाइप लाइन से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे : सुबोध अग्रवाल**

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री संजय कुमार जैन ने ग्राम -बस्सी के जाव खसरा न. 791, 792 एवं 793 में 40 बीघा एवं 19 बीसवा खेती की जमीन स्वर्गीय श्रीमती जाविश्री देवी धर्मपत्नि श्री विश्म्भरदयाल, निवासी- बस्सी से खरीद बिक्री अनुबन्ध दिनांक 16.08.1993 के जरिये खरीदी थी और उस अनुबन्ध को उनके श्री स्व. रविन्द्र कुमार व उनके परिवारवालों ने स्व. श्रीमति जाविश्री देवी एवं स्व. श्री रविन्द्र कुमार के द्वारा किए गए अनुबन्धों को जारी रखा। दिनांक 12.07.2014 को स्व. श्री रविन्द्र कुमार के वारिसान क्रमशः बीना देवी पत्नि स्व. रविन्द्र कुमार, ऋतु, पुत्री स्व. श्री रविन्द्र कुमार, सीमा पुत्री स्व. श्री रविन्द्र कुमार तथा वर्षा पुत्री स्व. श्री रविन्द्र कुमार एवं पुत्र अंकित ने उपरोक्त लगातार अनुबन्धों की निरन्तरता में दिनांक 12.07.2014 को हमारे मुवक्किल के पक्ष में नया अनुबन्ध निष्पादित किया हुआ है। हमारे मुवक्किल को पता लगा है कि स्व. रविन्द्र कुमार के उपरोक्त वर्णित वारिसों ने ऊपर वर्णित खसरा की हमारे मुवक्किल द्वारा खरीद की गई जमीन को अन्य किसी व्यक्ति को बेचान कर उतारू है। सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी ने भी उपरोक्त वर्णित जमीन का सौदा उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों से या अन्य से किया तो यह खरीददारी अवैध होगी। फिर भी अगर कोई सौदा करता है तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। स्थानः जयपुर दिनांकः 08.07.2022 कमलेश शर्मा/प्रज्ञा सेठ अधिवक्तागण चेम्बर न. 24-ए-ब्लाक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर मोबाईल नम्बर : 9829724095

सूचना समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक आम सभा दिनांक 24.07.2022 को प्रातः 11 बजे समिति के कार्यालय पर आयोजित की जा रही है जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आम सभा एजेण्डा 1. ऑडिट पर विचार 2. संशोधित उपनियमों पर विचार 3. सदस्यता पर विचार व अन्य विषयों पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार-विमर्श किया जावेगा। कोरमपूर्ति के अभाव में आम सभा उसी दिन निर्धारित समय के आधे घंटे पश्चात आयोजित की जायेगी। मंत्री भैरव गृह निर्माण स.स. लि., 197, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर दिनांक-8.7.2022 मंत्री, अध्यक्ष भैरव गृह निर्माण स.स.लि., जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772 क्रमांक-DHC-II/1070 दिनांक-07.07.2022

जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 79/08, मानसरोवर जयपुर, क्षेत्रफल 190.80 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्रीमती विनिता श्रीवास्तव पत्नी श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3257 दिनांक 30.06.1994 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 09.11.1994 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1212 दिनांक 23.02.1995 के द्वारा श्रीमती विनिता श्रीवास्तव पत्नी श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 24.02.1995 को करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती विनिता श्रीवास्तव पत्नी श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा उक्त आवास से संबंधित समस्त कार्यवाही सम्पादित करने हेतु श्री एस.सी. श्रीवास्तव पुत्र स्व. डॉ. हरीदास श्रीवास्तव के पक्ष में मुख्यारनामा निष्पादित करवाया गया। श्री एस.सी. श्रीवास्तव पुत्र स्व. डा. हरीदास श्रीवास्तव द्वारा बहैसियत मुख्त्यारनामा के आधार पर उक्त आवास का विक्रय जरिये विक्रय पत्र के दिनांक 18.11.2003 को श्री रमेशराज माथुर पुत्र श्री अमृतराज माथुर एवं श्रीमती शर्मिला माथुर पत्नी श्री रमेशराज माथुर को कर दिया गया। श्री रमेशराज माथुर पुत्र श्री अमृतराज माथुर की मृत्यु दिनांक 14.12.2011 को हो जाने के कारण श्रीमती शर्मिला माथुर पत्नी श्री स्व. रमेशराज माथुर ने उक्त आवास के 1/2 अविभाजित हिस्से सहित संपूर्ण हिस्से का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती शर्मिला माथुर पत्नी श्री स्व. रमेशराज माथुर के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती शर्मिला माथुर पत्नी श्री स्व. रमेशराज माथुर के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

सूचना समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक आम सभा दिनांक 24.07.2022 को प्रातः 11 बजे समिति के कार्यालय पर आयोजित की जा रही है जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आम सभा एजेण्डा 1. ऑडिट पर विचार 2. संशोधित उपनियमों पर विचार 3. सदस्यता पर विचार व अन्य विषयों पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार-विमर्श किया जावेगा। कोरमपूर्ति के अभाव में आम सभा उसी दिन निर्धारित समय के आधे घंटे पश्चात आयोजित की जायेगा। मंत्री, बाबा रामदेव गृह निर्माण स.स. लि., 197, भू-तल, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर दिनांक-08.07.2022 मंत्री, अध्यक्ष बाबा रामदेव गृह निर्माण स.स.लि., जयपुर

आम सूचना दि.06.07.22 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक प्लाट सं. 250/5 प्रताप एन्क्लेव योजना, जयपुर (प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड, जयपुर) 264.00 वर्गमीटर है जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 100 दिनांक 10.04.08 अदेय प्रमाण पत्र (NOC) क्रमांक 137/366 दिनांक 17.05.17 कब्जा पत्र क्रमांक 1732 दिनांक 21.07.08 मूल आवंटी श्री कालूलाल जांगिड़ के नाम से अंकित है। उक्त सम्पत्ति के मूल कागजात, आवंटन पत्र, अदेय प्रमाण पत्र, कब्जा पत्र दिनांक 20.09.2021 को कहीं गुम हो गये हैं। जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट LRNO. 1206857/2021 दर्ज करा दी गई है। उक्त प्रोपर्टी कालूराम जांगिड द्वारा श्री सीताराम गुर्जर को रजिस्ट्री दिनांक 08.12.2021 द्वारा बेच दी थी। उक्त सम्पत्ति सीताराम गुर्जर अब आवेदक श्री पंकज कुमार बासु को बेच रहे हैं। श्री पंकज कुमार बासु ने SBI मिलिट्री स्टेशन ब्रांच ने होमलोन हेतु आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के, SBI मिलिट्री स्टेशन ब्रांच जयपुर में सम्पर्क कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर लोन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में सम्पादित करली जावेगी। सूचित रहें। मुख्य प्रबन्धक, मिलिट्री स्टेशन ब्रान्च, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.) व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. मु./26/22 विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र। नाम प्रार्थी सतराम एन. चेनानी पुत्र स्व. नानिक राम चेनानी जाति सिंधी विवाद स्थान फ्लेट सं. ए-402, तृतीय तल त्रिमुर्ति अपार्टमेंट, मालवीय नगर मृतक फ्लेट सं. ए-402, तृतीय तल त्रिमुर्ति अपार्टमेंट, मालवीय नगर, सांगानेर की सम्पत्ति के विषय में। पेशी दिनांक- 10.08.22 सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्रीमती कला एस. चेनानी पत्नि सतराम एन चेनानी जाति सिंधी निवासी..... जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10 माह 08 सन् 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। आज दिनांक 28 माह 06 सन् 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया। शरिस्तेदार अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर मोहर अदालत